संख्या 430(1)/आठ(8)/67

प्रेषक,

श्री लाल शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार।

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक,
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।

लखनऊ : दिनांक 29 मई, 1980

विषय :- चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन शुल्क

महोदय,

गृह (पुलिस) अनुभाग-8

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 793/आठ(8)/85/67, दिनांक 30 अक्टूबर, 1979 के क्रम में मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि सत्यापन शुल्क के सम्बन्ध में प्राप्त अनेक जिज्ञासाओं पर शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि :-

(1) सत्यापन शुल्क सेवायोजक द्वारा देय है क्योंकि ऐसा सत्यापन सेवायोजक के हित में होता है।

(2) उत्तर प्रदेश में स्थित स्थानीय निकायों, संस्थानों, निजी कम्पनियों, व्यक्तियों, आदि द्वारा अपेक्षित चरित्र सत्यापन हेतु शुल्क राज्य के किसी ट्रेजरी में ट्रेजरी चालान द्वारा सेवायोजक "855-पुलिस-ख-फीस, जुर्माने और जब्तियाँ (3) अन्य फीस, जुर्माने आदि, इत्यादि" के अधीन जमा करके चालान की प्रति सत्यापन पत्र से संलग्न करके सम्बन्धित जिलाधिकारी को भेजी जाय

(3) अन्य प्रदेशों में इस प्रयोजनार्थ ट्रेजरी चालान से शुल्क जमा करने की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण देय शुल्क सेवायोजक द्वारा बैंक ड्राफ्ट अथवा पोस्टल आर्डर द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी को भेजा जा सकता है। पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट सम्बन्धित जिलाधिकारी के पदनाम में होगा और वह इस धनराशि को ट्रेजरी चालान द्वारा राजकीय कोष में जमा कराने की व्यवस्था करें।

(4) सत्यापन शुल्क 20/- रु0 प्रति व्यक्ति निर्धारित होने के कारण एक से अधिक जिलों से सत्यापन आवश्यक होने पर भी शुल्क की दर 20/- रु0 प्रति व्यक्ति ही रहेगी।

भवदीय,
ह0/
(श्री लाल शुक्ला,)
संयुक्त सचिव।

संख्या 430 (2)/आठ (8), तद्दिनांक

प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारी एवं समस्त पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि सम्बन्धित संस्थानों के कार्मिक अधिकारियों को भी सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
श्री लाल शुक्ला,
संयुक्त सचिव।

सूची

1- औद्योगिक विस्फोटक संयंत्र, मध्य प्रदेश।
2- भारतीय कृषक उर्वरक सहकारिता लिमिटेड
3- भारत का औद्योगिक विकास बैंक,
4- नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्तिनगर, मिर्जापुर,
5- भारत पम्पस् एवं कम्प्रेशर्स, नैनी, इलाहाबाद।
6- त्रिवेणी स्ट्रकचरल्स लिमिटेड।
7- भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, झांसी/हरिद्वार/हैदाराबाद/देहली।
8- इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड, किरन्दल/हैदराबाद।
9- नेशनल मिनरल डेवलमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, विलासपुर, मध्य प्रदेश।
10- सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, इन्द्रप्रस्थ स्टेट, न्यू देहली।
11- देहली ट्रान्सपोर्ठ कारपोरेशन लिमिटेड, इन्द्रप्रस्थ स्टेट, न्यू देहली।
12- इन्स्ट्रेमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा, राजस्थान।
13- टाटा इन्जीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव लिमिटेड, चिन्चूवाड, पूरा।
14- भारत अल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, विलासपुर, मध्य प्रदेश।
15- देहली विकास प्राधिकरण, इन्द्रप्रस्थ स्टेट, न्यू देहली।
16- नेशनल फर्टिलाईजर्स लिमिटेड, चन्डीगढ़।
17- राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स चम्बूर, बम्बई।
18- स्कूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड, लखनऊ।
19- हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड, लखनऊ।
20- यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
21- उ0प्र0 राज्य भण्डारागार निगम, न्यू हैदराबाद, लखनऊ।
22- आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड, तेज बहादुर सप्रू मार्ग, लखनऊ।
23- हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, जिला /महाराष्ट्र।

24- इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड जनपथ, नई दिल्ली।

25- नेशनल हाईड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड, मन्जूरा 57 नेहरू पैलेस, नई दिल्ली।

26- कलकत्ता स्टेट ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन 5 नीलभंग रोड, बलधारिया, कलकत्ता-56

27- सेन्ट्रल इलेक्ट्रिक लिमिटेड, 4, इण्डस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, उत्तर प्रदेश।

28- आर्डिनेन्स फैक्ट्री बोर्ड, 6, इस्पलाइज्ड स्ट्रीट, कलकत्ता।

29- न्यू देहली म्युनिसिपल कमेटी, टाउन हाल, नई दिल्ली।

30- सेन्ट्रल काउंसिल फार रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, अलीगढ़।